| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टी.ए./4590/2006/भरतपुर<br>जीवाराम बनाम लक्ष्मण | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|

**<u>एकल–पीठ</u>**

**श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य**

**<u>आदेश</u>**

**दिनांक 30–01–2025**

हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा – 230 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–07–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गयी।

विद्धान अधिवक्ता निगरानीकर्ता श्री अशोक अग्रवाल ने निगरानी मीमों में वर्णित तर्को की पुनरावर्ती करते हुए निगराधीन आदेश दिनांक 01–07–2006 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्धान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ता 2 श्री रामगोपाल चौधरी ने यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 (3) सीपीसी को स्वीकार कर दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश प्रदान करते हुए प्रतिवादीगण/प्रार्थी को रिबिट्ल में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। विचारण न्यायालय ने कोई कानूनन त्रुटि कारित नहीं की है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) सीपीसी प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड यथा नकल जमाबन्दी संवत् 1988 किता 11 एवं नकल जमाबन्दी सवंत् 2011–2013 किता चार को अभिलेख पर लिये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश से रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये है। हमारी सुविचारित राय में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर ले लिये जाने से किसी भी पक्ष के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडता है, अपित् प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व वाद के न्यायनिर्णय में सहायक ही सिद्ध होंगे। दस्तावेजात रिकार्ड पर लेने से

| | | |
|---|---|---|
| | प्रकरण की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पडता है और न ही इससे प्रार्थी के हितो पर कोई प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। आलोच्य आदेश द्वारा प्रार्थी के कोई हक हकूक एंव अधिकार निर्णीत नहीं किये गये हैं। प्रस्तुत दस्तावेज न्याय/निर्णय में सहयोगी है तो ऐसे दस्तावेज रिकोर्ड पर लिये जाने चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश उचित है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से प्रार्थी/प्रतिवादीगण को रिबिटल में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं होने से हस्तगत निगरानी अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।<br><br>परिणामतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।<br><br>इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(राजेश कुमार दड़िया)**<br>**सदस्य** | |